List of Representations received during November-December 19 **Statement**

Sl. No.	Name of teacher	Subject	Date of receipt
1	Ram Kishan Rastogi	Pol. Sc.	6-11-91
2	Nisha Rani Jain:	History	Do.
3	N.P. Singh	History	8-11-91
4	M.S. Agarwal	Hindi	12-11-91
5	Ram Kishan Rohilla	English	14-11-91
6	Anuradha Rani	Physics	15-11-91
7	Bhupender Kapoor	Economics	26-11-91
8	Prem Chand Hart	Pol. Sc.	26-11-91
9	Om Prakash Gupta	Hindi	26-11-91
10	Kalpana Sharma	Chemistry	26-11-91
11	Kiran Bala	Sanskrit	23-12-91
12	Tripta Ahuja	English	23-12-91
13	Lal Singh	Hindi	26-12-91
14	Shata Kathuria	Economics	26-12-91
15	Naval Singh	History	26-12-91
16	Sushma Saluja	English	27-12-91 & 18-12-91
17	S.P. Gupta	Economics	26-12-91
18	Sudershan Bhatia	Hindi	23-12-91

स्वैच्छिक कल्याण संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरुपयोग

2505. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्वैच्छिक कल्याण संगठन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके जिला-वार नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन संगठनों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करती है ;

(घ) क्या इन संगठनों द्वारा धन-राशि का दुरुपयोग किये जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) देश

के विभिन्न जिलों में स्थित ऐसे स्वयंसेवी संस्थानों की संख्या वर्षानुवर्ष अलग-अलग होती है, जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत केवल उन्हीं संस्थानों को सहायता अनुदान दिए जाने पर विचार किया जाता है जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।

(ग) स्वयंसेवी संगठनों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बताए गए ऐसे संस्थानों का एक विवरण (नीचे देखिए) संलग्न है जिसमें अनुदान की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण धन का दुरुपयोग करने वाले संस्थानों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

अनुदान की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण धन का दुरुपयोग करने वाले संस्थानों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

संस्थान का नाम	की गई कार्रवाई
1. महिला विकास मंच, रांची।	संस्थान से कहा गया है कि वह केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान वापस करे।
2. करुणा, इम्फाल	संस्थान से कहा गया कि वह अपने लेखाओं का निपटान करे तथा परिवार-परामर्श केन्द्र की परिसंपत्ति भी सौंप दें।
3. महिलाओं के लिये कानूनी सहायता केन्द्र, नई दिल्ली।	संस्थान से कहा गया है कि वह परिवार-परामर्श केन्द्र की परिसंपत्ति सौंप दे तथा लेखाओं का भी निपटान करे।
4. नेहरु पब्लिक शिक्षा समिति 228, मानसरोवर कालोनी, जयपुर।	सतर्कता कोष्ठ के निर्देशानुसार अनुदान बन्द कर दिया गया है
5. राय शिक्षा समिति, 1-C-78, गुर्जर बस्ती, शास्त्री नगर, नई दिल्ली।	
6. मून लाईट स्कूल समिति, आमेर, जयपुर (राजस्थान)।	